कार्यालय जिलाधिकारी, उत्तरकाशी ।

संख्या- 180 /एस0पी0ए0-2019 दिनांक अप्रैल30 ,2019

1- उप जिलाधिकारी भटवाड़ी एवं बडक़ोट
2- सेक्टर मजिस्ट्रेट, चारधाम यात्रा, श्री गंगोत्री धाम एवं श्री यमुनोत्री धाम।

विषय- श्री यमुनोत्री धाम एवं श्री गंगोत्री धाम को यात्रा के दौरान धूम्रपान रहित क्षेत्र के संबंध में ।

उपरोक्त विषयक दिनांक 07-05-2019 को श्री यमुनोत्री धाम एवं श्री गंगोत्री धाम के कपाट खुलने पर चारधाम यात्रा का शुभारम्भ हो जायेगा। यात्राकाल के दौरान श्री यमुनोत्री धाम एवं श्री गंगोत्री धाम में देश-विदेश से श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों का काफी आवागमन होता है। स्वच्छता एवं पर्यावरणीय दृष्टि से उक्त दोनों धामों में तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य उत्पादन, प्रदाय वितरण का विनियमन) **COTPA ACT-2003** के तहत सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान का प्रतिषेध से संबंधित नियम की धारा-4 का अनुपालन किया जाना है।

अत: आप श्री यमुनोत्री धाम एवं श्री गंगोत्री धाम में धारा-4 का अनुपालन एवं उक्त क्षेत्र को धूम्रपान रहित बनाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

(डा0 आशीष चौहान)
जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।